Email: cswriavikanagar@yahoo.com दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated 6-4-2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work for green fodder production related activities at various agricultural sectors under the Farm Section of the Institute** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.** Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract proposal/2017-18/
Date and Time for issue/Publishing	7-4-2018 at 3-00 PM
Document Download/Sale start date and time	8-4-2018 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	8-4-2018 at 3-00 PM
Bid Submission End Date and Time	27-4-2018 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	28-4-2018 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money –Rs.18,000/- Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST ,a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 lakhs of his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Reurn),balance sheet, profit & Loss Statement etc.
4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
7. Scanned copy of Acceptance letter

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(306)एसपी/2016/ दिनांकः 6.4.2018

<u>निविदा प्रपत्र सूची</u>

संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृ।ि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन से संबंधित कार्यः

(अ) कार्यो का विवरण :–

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि एवं विवरण	कार्य की अनुमानित मात्रा	दर रूपये
1–	प्रक्षेत्र के अधिन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षेत्र में सभी कृ।ि क्रियाएं अपनाते हुए सैक्टर प्रभारियों के निर्दे ।ानुसार हरे चारे का उत्पादन करना रिजका, जई तथा जायद मे चौंला एवं बाजरे का हरा चारा उत्पादन (रिजका एवं जई की बुवाई का कार्य अक्टूबर माह व चौंला तथा बाजरे की बुवाई मार्च–अप्रेल में आव यकतानुसार होगी)	रिजका/बरसीम/ चाइनीज कैबेज	400 क्विटल	प्रति क्विंटल
		जई हरा चारा	6000 क्विटंल	प्रति क्विंटल
		बाजरा /ज्वार हरा चारा	4500 क्विंटल	प्रति क्विंटल
		चौंला हरा चारा	50 क्विंटल	प्रति क्विंटल
2–	प्रक्षेत्र के अधिन विभिन्न सैक्टरों पर सिचिंत क्षेत्र में जई का बीज उत्पादन करना, बुआई से लेकर कटाई तक सभी प्रक्रियाये जैसे निराई–गुडाई करना, फसल कटाई, जई की थ्रेसिंग करना । बीज व चारे के भण्ड़ारण तक का कार्य करना (प्रक्षेत्र तैयार करने के लिए टेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	जई का बीज	30 क्विंटल	प्रति क्विंटल
नोट : पानी की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती हैं				

(ब) कार्यो का विवरण :–

1–	1– ब्लॉक न• 9 पर लगभग 2 हैक्टर क्षेत्रफल में लगें सभी प्रकार की प्रजाति के पौधों की समय–समय पर देखभाल करना जिसमें पौधों में खाद एवं कीट व्याधियों के बचाव के लिए दवाओं का छिड़काव करना, समय–समय पर निराई–गुड़ाई का कार्य करवाना, पौधों की कटाई–छंटाई करवाना । 2– अजोला खेती (7.7MX7.7M) आकार क्षेत्रफल में अजोला उत्पादन करना । 3– फार्म अनुभाग कार्यालय के सामने बने (43MX33M) आकार क्षेत्रफल में बने (9MX8M) की पौध ।ाला में पौध तैयार कर रख–रखाव करना एवं लोन के चारो ओर बनी क्यारिया तथा क्षेत्र में लगे पेड़–पौधो की निराई–गुड़ाई एवं देख–रेख को निर्दे ।ानुसार करना । 4– ब्लॉक नम्बर–12 में मौसम ।ाला (40MX60M) आकार क्षेत्रफल की साफ–सफाई एवं पानी डालना का कार्य प्रतिमाह नियमित रुप से करवाना ।	12 माह	प्रति माह
2–	संस्थान के विभिन्न सैक्टरों पर लगभग 3000 पौधे लगाने हेतु गड्ढे खोदना तथा उनको खाद मिट्टी से भरना एवं पौधे लगाना एवं वर्ष भर आव यकतानुसार पानी पिलवाना। वृक्षारोपण हेतु 2X2X2 फीट आकार के गड्ढे खोदने होगें, उनमें खाद एवं मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना होगा ।	3000 पौधे	प्रति पौधा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में द ाायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाक्रि पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूक्रकि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में द ाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त द ाायी गई दरों पर **संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृ ाि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन** से संबंधित कार्य बिन्दु अ तथा ब को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्टेक्स्ट/जॉब कोन्टेक्स्ट पर करने के लिये सहमत हूक्र मैं यह वचन देता हूक्रकि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त द ाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त द ाायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्दे ाानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूक्रा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूक्रा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूक्रा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूक्रतो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ाि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूक्रकि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूक्रा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूक्रा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाक्रि से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्टेक्स्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूक्रा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

<u>संस्थान के प्रक्षेत्र अनुभाग के अधीन विभिन्न कृ ि सैक्टरों पर हरे चारे के उत्पादन से संबंधित कार्य बिन्दु अ तथा ब को सम्पादित करने के लिये नियम व शर्ते</u>

1. अनुबंधकर्त्ता को फार्म अनुभाग के चॉदसेन सैक्टर के (ब्लाक–9 में 16 हैक्टर, ब्लाक–5 में 6 हैक्टर, ब्लॉक–4 में 6 हैक्टर एवं ब्लॉक–3 में 2 हैक्टर लगभग), टाउन ीप (ब्लाक–12 में 9 हैक्टर लगभग), नयाकुआ (ब्लाक–14 में 6 हैक्टर एवं ब्लाक–16 में 3 हैक्टर लगभग), एवं मझोला ब्लॉक–17 में 5 हैक्टर (ब्लाक–19 में 9 हैक्टर लगभग) सैक्टरों के अन्तर्गत सिंचाई में काम आने वाले ट्युबवेलों एवं उक्त क्षेत्र में लगी लोहे की फेन्सिंग की देखभाल करना, सैक्टरों पर रखे सामानो की सुरक्षा करना, कार्यालयों के आस–पास लगभग 10 मीटर चारों ओर बने रास्तों की सफाई, लॉन की देखरेख, कटाई–छगांई, पेड़–पौधें को पानी डालना, अनुभाग की नर्सरी की देखभाल करना एवं प्रत्येक सैक्टर पर पहले से बनी नालियों में निदे ाानुसार अपि ट ऊन की खाद तैयार करना । साथ ही हरे चारे की फसल के अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने पर प्रभारी फार्म अनुभाग के निर्दे ाानुसार समस्त सामान प्रभारी सैक्टर को सौपना होगा ।
2. सारणी ीअी क्रमांक संख्या 1 एवं 2 पर वर्णित जई के बीज की थ्रेसिंग करवाकर उसकी ुद्ध मात्रा व भूसा को प्रक्षेत्र अनुभाग के भण्डार कक्ष में पहुँचाना होगा । प्रति क्विंटल की दर के लिए केवल बीज की कुल मात्रा ही ली जावेगी ।
3. अनुबन्धकर्ता को प्रक्षेत्र के चॉदसेन, टाउन ीप, नयाकुआ एवं मझोला सैक्टरों के कार्यो को करवाने के लिए अलग–अलग परवेयक्षक नियुक्त कर प्रभारी फार्म/प्रभारी सैक्टरो के निर्दे ाानुसाार अनुबन्ध कार्य समय पर पूरे करवाने होगें । अनुबन्ध कार्य को पूर्ण करवाने के लिए प्रभारी सेक्टरों के निर्दे ाानुसार श्रमिकों का प्रबन्ध करना होगा । कार्य निर्दे ाानुसार समय पर पूर्ण नहीं करवाने पर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है ।
4. काटे गये हरे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) प्रभारी प्र–क्षैत्र/प्रभारी, सेक्टर/गठित समिति द्वारा महसूस की जाती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य करना होगा।
5. रबी व गर्मी की फसलों मे सिचांई के पानी के हिसाब से हरा चारा उत्पादन करना होगा।
6. जई का बीज उत्पादन में सभी सैक्टर प्रभारियों के निर्दे ाानुसार कृ ि कार्य अनुबन्धकर्ता को करने होगें एवं थ्रेसींग का कार्य स्वंय अनुबन्धकर्ता को करवाना होगा।
7. रोजाना चारे को लाने व लेजाने के लिये टेक्टर मय टेक्टर टाली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। एक क्विंटल तक हरा चारा मांग के अनुसार भेड/बकरी सेक्टर तक पहुंचाने की व्यवस्था स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगी।
8. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाना होगा । जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये टेक्टर व यन्त्र संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा
9. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्ये प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
10. अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रत्येक मद में होने वाले खर्चे को मध्य नजर रखते हुये दर प्रस्तुत करे, क्योंकि किसी भी कार्य को परिस्थिति के अनुसार हटाया भी जा सकता हैं।
11. प्रक्षेत्र में कार्य का विवरण ब में क्रम संख्या 1 के अनुसार ड्रीप संयत्र की देखभाल करना जिसमें ड्रीप लाइनों में पानी को व्यवस्थित रुप से चलवाने का कार्य, ड्रीप हेड की समय–समय पर सफाई करवाना, समय–समय पर पौधों के गड्डों की मरम्मत का कार्य करवाना । हेड संयत्र के आस–पास के प्रक्षेत्र को साफ–सुथरा रखना एवं पानी के होज की समय–समय पर साफ–सफाई का कार्य करना । कार्य के लिए औजार स्वंय अनुबन्धकर्ता के होगें ।
12. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होगें । कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तो ाजनक नही होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है । जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वंय की होगी साथ ही भवि य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा ।
13. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की ि थिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान /चारी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत रा ि जप्त कर लीजावेगी ।
14. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता /उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी।
15. निविदादाता से अनुरोध है कि अनुबन्ध के सम्बन्ध में क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पूर्व आकलन कर ठीक प्रकार से अवलोकन कर दरे प्रस्तुत करें ।
16. विविध कारणों से चारा उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना/क्षतिपूर्ति नही की जावेगी।
17. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी, प्रक्षेत्र व उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेंगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
18. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संन्तोषजनक नही होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करली जावेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता होगी तथा भविष्य के लिये कार्य आवंटन नही किया जावेगा।

कटौतियाक्र-

1. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की ि थिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा कोई नुकसान/ चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वंय अनुबन्धकर्ता को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी ।

2. अनुबन्कर्ता को रात की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगा । यदि रात की रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति क्विंटल के हिसाब से देय बिल मे से की जावेगी । नुकसान का आकंलन प्रभारी, प्रक्षैत्र / प्रभारी, सेक्टर / सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा ।

3. variation clause subject to force measure को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई नि चित मात्रा से 20 प्रति ात कम या 20 प्रति ात अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा । परन्तु प्रस्ताव की तय की गई नि चित मात्रा से 20 प्रति ात से कम होने की द ाा में, 20 प्रति ात से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रति ात की कटौती की जा सकती है । इसी तरह तय की गई नि चित मात्रा से 20 प्रति ात से अधिक होने की द ाा में ,20 प्रति ात से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रति ात का ही भुगतान किया जावेगा ।

जैसेः यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रति ात कम उत्पादन होने पर अर्थात 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रति ात कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्त्ता को किया जा सकेगा ।

ठीक इसी तरह यदि नि चित की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रति ात अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्त्ता को अर्थात 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढकर यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रति ात मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा । अर्थात कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान देय होगा ।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व ातेंः</u>

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदे ा जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष या अधिक तक बढ़ायी जा सकता है।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी यदि आव यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है। निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा तो उसे निरस्त समझा॰ जावेगा।
3. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
4. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदे ा प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, प्रक्षेत्र से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दि ाा–निर्दे ाानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत रा ि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
5. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ि ष्टता का व्यवहार करना होगा।
6. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल रा ि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
7. संबंधित वित्तीय व र् ा में या समय–समय पर होने वाले सं ोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
8. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
9. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
10. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।
11. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।

12. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।
13. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
14. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्टेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्टेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
15. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
16. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडि ियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
17. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
18. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।